



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262838  
CG-DL-E-02052025-262838

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947

No. 241]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISAKHA 11, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

**सा.का.नि. 284(अ).-** विस्फोटक नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 30(अ) तारीख 13 जनवरी, 2025 द्वारा, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने के तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 13 जनवरी, 2025 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त अवधि में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्फोटक नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 2008, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 106 के, खंड (3) का लोप किया जाएगा;

3. उक्त नियमों के नियम 112 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "पांच वित्तीय वर्षों" शब्दों के स्थान पर, "दस वित्तीय वर्षों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (8) में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.2(3)/2019-विस्फोटक-भाग (4)]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

**टिप्पण-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 907 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.65 (अ) तारीख 24 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 772 (अ) तारीख 11 सितंबर, 2013 और सा.का.नि. 17(अ) तारीख 9 जनवरी, 2019, जी.एस.आर. 633(ई) तारीख 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24<sup>th</sup> April, 2025

**G.S.R. 284(E).**— WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Explosives Rules, 2008, were published, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 30 (E), dated the 13<sup>th</sup> January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13<sup>th</sup> January, 2025;

AND WHEREAS no objection or suggestions were received from the public within the said period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 106 of the Explosives Rules, 2008, herein after referred to as the said rules, the clause (3) shall be omitted;
3. In rule 112 of the said rules, -  
  
(a) in sub-rule (1), for the words "five financial years", the words "ten financial years" shall be substituted;

(b) in sub-rule (8), for the words “five years” the words “ten years” shall be substituted.

[F. No. 2(3)/2019-Expl-Part(4)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 907(E), dated the 29th December, 2008 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 65(E), dated 24<sup>th</sup> January, 2011, G.S.R. 772(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2013, G.S.R. 17 (E) dated 9<sup>th</sup> January 2019 and G.S.R.633(E) dated 11th October, 2024.